



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 2010/भाद्र 8, 1932

No. 479]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 2010/BHADRA 8, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 708(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1989 का प्रारूप, सा. का. नि. 180(अ) तारीख 10 मार्च, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 10 मार्च, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के खंड (छ) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 14 में, उप-नियम (1) के खंड (ज) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियम के प्ररूप 2 में, "आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां" शीर्षक के अधीन मद 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के प्ररूप 4 में, "आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां" शीर्षक के अधीन मद 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के प्ररूप 6 में, "नागरिकता" शब्द का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के प्ररूप 7 में, "नागरिकता" शब्द का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के प्ररूप 20 में, —

(i) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. पैर संख्या (वैकल्पिक)";

(ii) मद 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के प्ररूप 23 में "पैन संख्या" शब्दों के स्थान पर "पैन संख्या (वैकल्पिक)" शब्द और कोष्टक रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के प्ररूप 23-क के मद 5 में उप-मद 5.4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 5.4 पैन संख्या (वैकल्पिक) "।

[फा. सं. आरटी-11021/31/2007-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 504(अ) तारीख 15 जून, 2010 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2010

**G.S.R. 708(E).**—Whereas, the draft of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1989, was published vide number G.S.R. 180(E) dated the 10th March, 2010 as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the Gazette copies of the said notification were made available to the public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 10th March, 2010.

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, clause (g) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 14, in sub-rule (1), clause (h) shall be omitted.

4. In the said rules, in Form 2, under the heading "Particulars to be furnished by applicant", the item 11 and the entries relating thereto shall be omitted.

5. In the said rules, in Form 4, under the heading "Particulars to be furnished by applicant", the item 11 and the entries relating thereto shall be omitted.

6. In the said rules, in Form 6 the word "Citizenship" shall be omitted.

7. In the said rules, in Form 7, the word "Citizenship" shall be omitted.

8. In the said rules, in Form 20—

(i) for item 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

" 6. PAN number (optional)";

(ii) item 9 and the entry relating thereto shall be omitted.

9. In the said rules, in Form 23, for letters "PAN No.", the letters, words and brackets "PAN number (optional)" shall be substituted.

10. In the said rules, in Form 23-A, in item 5, for sub-item 5.4 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"5.4 PAN number (optional)".

[F. No. RT-11021/31/2007-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

**Foot Note :—** The Principal rules were published in Gazette of India vide number G.S.R. 590(E), dated 2nd June, 1989 and last amended vide No. G.S.R. 504(E) dated the 15th June, 2010.